

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो

संख्या - बी-285(23)/मुखभू/ 2015-16

नागपुर, दिनांक 25/10/2017

**सूचना**

**विषय:** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 04 के उपनियम 1, खनिज (आण्विक एवं हायड्रो कार्बन उर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियमावली 2016 के नियम 5 के उपनियम 10 (ख) तथा खनिज (निलामी) नियमावली 2015 के नियम 18 के उपनियम 2 (ग) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जानेवाले पूर्वक्षण स्कीम, पूर्वक्षण की वार्षिक रिपोर्ट तथा पूर्वक्षण की अंतिम रिपोर्ट हेतु प्रपत्र ।

खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 04 के उपनियम 1, खनिज (आण्विक एवं हायड्रो कार्बन उर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियमावली 2016 के नियम 5 के उपनियम 10 (ख) तथा खनिज (निलामी) नियमावली 2015 के नियम 18 के उपनियम 2 (ग) के अनुसार सभी पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र-सह-खनन पट्टाधारको, या अधिमत बोलिकर्ता को पूर्वक्षण स्कीम यथास्थिति महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, या प्राधिकृत अधिकारी को तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा ।

तत्पश्चात, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 9(1) के अनुसार सभी पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र-सह-खनन पट्टाधारको या अधिमत बोलिकर्ता को खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 की अनुसूची के 'प्रपत्र ख' के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट यथास्थिति महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, या प्राधिकृत अधिकारी को तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा ।

खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 4(2) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर उल्लेखित प्रपत्र में पूर्वक्षण स्कीम तैयार की जाए। साथ ही खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 9(2) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा नियम 9(1) के अधीन रिपोर्टिंग का प्रपत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

तदनुसार, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 4(2) के अंतर्गत पूर्वक्षण स्कीम के साथ-साथ खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 9(2) के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट एवं पूर्वक्षण की अंतिम रिपोर्ट का प्रपत्र भी एतदद्वारा विनिर्दिष्ट है तथा इस सूचना के साथ अनुलग्नक में दिया गया है ।

उपर्युक्त उद्देशों हेतु पूर्व में विनिर्दिष्ट सभी प्रपत्रों का अधिक्रमण करते हुए इस पत्र के साथ दिए गए प्रपत्रों में पूर्वक्षण स्कीम के साथ-साथ पूर्वक्षण की वार्षिक रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत करना होगा ।

1. पूर्वक्षण स्कीम हेतु प्रपत्र
2. पूर्वक्षण की वार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रपत्र
3. पूर्वक्षण की अंतिम रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

(एस. के. अधिकारी)  
मुख्य खनन भूविज्ञानी

**Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines**

File No. B-285(23)/CMG/2015-16

Nagpur, dated 25/10/2017

**NOTICE**

**Sub: Format for Scheme of Prospecting, Yearly Report of Prospecting & Final Report of Prospecting to be submitted under sub rule 1 of rule 4 of Mineral Conservation & Development Rules, 2017; sub rule 10 (b) of rule 5 of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and sub rule 2 (c) of rule 18 of Mineral (Auction) Rules, 2015.**

As per sub rule 1 of rule 4 of Mineral Conservation & Development Rules, 2017, sub rule 10 (b) of rule 5 of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and sub rule 2 (c) of rule 18 of Mineral (Auction) Rules, 2015 every holder of a prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease, or preferred bidder shall submit to the Controller General, Indian Bureau of Mines, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines or the authorised officer, as the case may be, and to the State Government a Scheme of Prospecting.

Further, as per rule 9 (1) of Mineral Conservation & Development Rules, 2017, every holder of a prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease shall submit to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines or the authorised officer, as the case may be, and to the State Government, a yearly report along with Form B of the Schedule of Mineral Conservation & Development Rules, 2017.

As per rule, 4(2) of Mineral Conservation & Development Rules, 2017, the Scheme of Prospecting shall be prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines from time to time. Also, as per rule 9 (2) of the Mineral Conservation & Development Rules, the format of the reporting under rule 9 (1) shall be specified by the Indian Bureau of Mines.

Accordingly, formats for Scheme of Prospecting under rule 4 (2) of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 as well as Yearly Report under rule 9 (2) of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 & Final Report of Prospecting are hereby specified and are annexed to this notice.

The Scheme of Prospecting as well as Yearly Report of Prospecting & Final Report of Prospecting shall be submitted in the formats specified herewith with immediate effect in supersession of all other formats specified previously for the above purposes.

1. Format for Scheme of Prospecting
2. Format for Yearly Report of Prospecting
3. Format for Final Report of Prospecting

**S.K. ADHIKARI  
CHIEF MINING GEOLOGIST**